

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

विधवा भरण पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना-प्रपत्र)

1. पेंशन योजना का नाम (जिसके अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है).....
2. बी.पी.एल. नम्बर या बी.पी.एल.राशन कार्ड या वार्षिक आय.....
(उपरोक्त में से कोई एक)
3. आवेदक का नाम
4. पति का नाम.....
5. स्थाई पता
ग्राम/मौहल्लापोस्ट.....
ग्राम पंचायत/वार्ड का नामन्याय पंचायत.....
विकास खण्ड.....तहसील.....जनपद.....हरिद्वार.....
6. पत्र व्यवहार का पता (यदि स्थाई पते से अलग रह रहा हो):-
ग्राम/मौहल्लापोस्ट.....
ग्राम पंचायत/वार्ड का नामन्याय पंचायत.....
विकास खण्ड.....तहसील.....जनपद.....हरिद्वार.....
7. जन्मतिथि/आयु.....(रजिस्टर भाग-ii)फोटो पहचान पत्र/ शैक्षिक अभिलेख के आधार पर
8. बैंक शाखा का नाम व स्थान.....
9. खाता सं०.....
- जाति.....

नवीन फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अध्यक्ष /सभासद नगर पालिका/पंचायत, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापित

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं.....घोषणा करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य य छिपाया गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।
किसी भी बिन्दू पर दी गई असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व में जमा करूँगी।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि

1. आवेदक विधवा पेंशन के लिये पात्र है तथा प्रमाणित किया जाता है कि इनके पति कि मृत्यु दिनांक.....
को हो चुकी है। इनका बी०पी०एल० आई०डी० नं..... है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर व मुहर

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर
एवं मुहर

खण्ड विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
के हस्ताक्षर

शहरी क्षेत्र के लिये

तहसीलदार के हस्ताक्षर
एवं मुहर

उपजिलाधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट - बी०पी०एल० धारक /एक/हजार रूपये मासिक आय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त ही आवेदन करें।